महत्त्वपूर्ण संपादकीय

विश्लेषण

05/10/2026

1. त्रि-भाषा नीति संबंधी मुद्दे

(सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र- I व II: समाज एवं शासन)

2. कोल्बी की मध्यावधि रिपोर्ट का भारत के लिए निहितार्थ

(सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र- II: अंतरराष्ट्रीय संबंध)

3. विनियमन से उच्च शिक्षा संस्थानों में बाधा

(सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र- II: शासन)

दिल्ली केंद्र : 636, भू-तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-09

प्रयागराज केंद्र : महाराणा प्रताप चौराहा, स्टैनली रोड, सिविल लाइन्स, प्रयागराज, उ.प्र.

संपादकीय: 05 अक्तूबर, 2026

1. त्रि-भाषा नीति संबंधी मुद्दे

(सामान्य अधययन प्रश्नपत्र- I व II: समाज एवं शासन)

'टू ऑर थ्री?' (Two or three?) शीर्षक वाला यह संपादकीय 5 अक्टूबर, 2026 को द हिंदू में प्रकाशित हुआ जिसमें त्रि-भाषा नीति की कमियों और आंतरिक मूल्यांकन के माध्यम से छात्रों को विकल्प देने के पक्ष पर प्रकाश डाला गया है।

न्यायिक समीक्षा और कार्यान्वयन

- सर्वोच्च न्यायालय छात्रों का बोझ तब तक कम करना चाहता है जब तक विद्यालय इसके लिए तैयार नहीं हो जाते हैं। वर्तमान कक्षा 6 के छात्रों को कक्षा 7–9 के छात्रों को दी गई राहत मिलनी चाहिए और तीसरी भाषा का मूल्यांकन कक्षा 10 में आंतरिक रूप से किया जाना चाहिए।
- न्यायालय ने पहले 2027 के बजाय 2026 में कार्यान्वयन शुरू करने पर सवाल उठाया था, जबकि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) बार-बार समझौते से इनकार करता रहा।
- कक्षा 9 में एक नई भाषा शुरू करने से उन छात्रों के लिए व्यवधान उत्पन्न हो सकता है जिन्हें पहले किसी दूसरी भारतीय भाषा का अनुभव नहीं है; न्यायालय ने अंग्रेज़ी को विदेशी भाषा के रूप में वर्गीकृत किए जाने पर भी सवाल उठाया।

भाषा का विकल्प और नीतिगत प्रभाव

- भारत में कम-से-कम 300 वर्षों से प्रयुक्त अंग्रेज़ी शिक्षा, न्यायालयों एवं पेशों में प्रभुत्व रखती है, संपर्क भाषा के रूप में काम करती है और वैश्विक रोज़गार, विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, सहायता प्रदान करती है।

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 दो भारतीय भाषाओं की वकालत करती है और वैश्विक रोज़गार के लिए गतिशीलता को सुगम बनाने के साधन के रूप में विदेशी भाषा सीखने को मान्यता देती है।
- अंग्रेज़ी को शिक्षण के माध्यम के रूप में अपनाने पर CBSE स्कूल इसे अपनी एकमात्र विदेशी भाषा के रूप में बनाए रख सकते हैं; हिंदी–संस्कृत या क्षेत्रीय-भाषा संयोजन स्पेनिश और फ्रेंच का स्थान ले सकते हैं जिससे अंतर-क्षेत्रीय शिक्षण सीमित हो सकता है।
- यद्यपि अधिक भारतीय भाषाएँ सीखना संघवाद को सुदृढ़ कर सकता है, अतीत के प्रति लगाव से प्रेरित होकर किसी अतिरिक्त भाषा का अनिवार्य अध्ययन सीमित व्यावहारिक उपयोगिता प्रदान करता है।

संपादकीय के अतिरिक्त

बहुभाषी स्कूली शिक्षा में शैक्षिक समानता

- **शिक्षकों की उपलब्धता:** भाषा शिक्षक नियुक्ति योजना ने पूर्वोत्तर राज्यों में हिंदी शिक्षकों और राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों में उर्दू शिक्षकों को सहायता प्रदान की, जिससे भाषा-शिक्षण की आवश्यकताओं को पूरा किया गया।
- **संसाधनों में असमानता:** राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (NCERT) ने मार्च 2024 में भारतीय भाषाओं में 52 प्रारंभिक पुस्तकें जारी कीं, जिससे कम प्रतिनिधित्व वाली भाषाएँ बोलने वाले बच्चों के लिए शिक्षण-सामग्री का विस्तार हुआ।
- **अंग्रेज़ी तक पहुँच:** राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में अंग्रेज़ी और मातृभाषा में विज्ञान तथा गणित की द्विभाषी शिक्षण-सामग्री की परिकल्पना की गई है जिससे घरेलू भाषाओं को विस्थापित किए बिना अंग्रेज़ी तक पहुँच का समर्थन किया जा सके।
- **परिवारों की लागत:** समग्र शिक्षा वंचित परिवारों के लिए सीखने के खर्च को कम करते हुए, जनजातीय-भाषा की सामग्री सहित प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध कराती

है।

- **प्रवासी समावेशन:** शिक्षा मंत्रालय के दिशानिर्देश न्यूनतम दस्तावेज़ों के साथ प्रवासी बच्चों के निकटवर्ती सरकारी स्कूलों में प्रवेश को सुगम बनाते हैं; सीखने की निरंतरता के लिए भाषा-सहायता अभी भी आवश्यक है।
- **सुलभ शिक्षा:** भारतीय सांकेतिक भाषा को माध्यमिक स्तर के विषय के रूप में शामिल किया गया, जबकि राष्ट्रीय संस्थानों ने श्रवण-बाधित विद्यार्थियों की सहायता के लिए 1,200 से अधिक सांकेतिक शैक्षिक संसाधन विकसित किए।
- **व्यापक परिचय:** भाषा संगम विद्यालयी सामग्री और एक ऐप के माध्यम से 22 अनुसूचित भाषाओं में रोज़मर्रा के 100 वाक्य उपलब्ध कराता है जिससे परीक्षाओं से परे बहुभाषी परिचय संभव होता है।

2. कोल्बी की मध्यावधि रिपोर्ट का भारत के लिए निहितार्थ

(सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र- II: अंतरराष्ट्रीय संबंध)

'कोल्बीज़ मिड-टर्म रिपोर्ट कार्ड, व्हाट इट मीन्स फॉर इंडिया' (Colby's mid-term report card, what it means for India) शीर्षक वाला यह संपादकीय 5 अक्टूबर 2026 को द हिंदू में प्रकाशित हुआ, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि अमेरिकी रक्षा प्राथमिकताओं में हो रहे बदलाव भारत के लिए स्वायत्तता बनाए रखते हुए रणनीतिक लाभ प्राप्त करने के अवसर किस प्रकार सृजित करते हैं।

अमेरिकी रक्षा रणनीति में बदलाव

- एलब्रिज ए. कोल्बी द्वारा 2026 की राष्ट्रीय रक्षा रणनीति के आकलन में चार प्राथमिकताओं की पहचान की गई है: आंतरिक रक्षा, चीन का प्रतिरोध, साझेदारों का अधिक योगदान और रक्षा उद्योग का पुनर्निर्माण।
- वाशिंगटन अधिक जिम्मेदारी साझा करने की मांग कर रहा है: यूरोप को अपनी रक्षा का नेतृत्व करना चाहिए, दक्षिण कोरिया को प्रायद्वीप पर अधिक योगदान देना चाहिए और जापान-ऑस्ट्रेलिया को हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बड़ी भूमिका निभानी चाहिए।
- अमेरिका रणनीतिक नेतृत्व, उन्नत क्षमताओं और विस्तारित प्रतिरोध को बरकरार रखता है जबकि उसके सहयोगी अधिक सैनिक, बुनियादी ढांचा, धन एवं औद्योगिक सहायता प्रदान करते हैं।

चीन एवं रूस की गणनाएँ

- चीन को रोकने की रणनीति हिंद-प्रशांत क्षेत्र में, विशेष रूप से प्रथम द्वीप श्रृंखला के साथ, चीन के प्रभुत्व को रोकने पर केंद्रित है, भले ही अमेरिका द्वारा चीन के साथ व्यापार एवं अन्य मुद्दों पर बातचीत की जा रही हो।
- अमेरिका के लिए भारत का महत्व काफी हद तक चीन एवं हिंद-प्रशांत क्षेत्र पर निर्भर करता है। अमेरिका-चीन प्रतिस्पर्धा और सहयोग में हो रहे बदलावों का मतलब है कि द्विपक्षीय हित हमेशा एक-दूसरे के अनुरूप नहीं होते हैं जिससे रणनीतिक अभिसरण जटिल हो जाता है।
- यूक्रेन युद्ध की लागत कम करने और यूरोपीय सुरक्षा जिम्मेदारी बढ़ाने के साथ अमेरिका रूस की शक्ति को सीमित करना चाहता है। भारत को अपने रूसी रक्षा संबंधों, ऊर्जा जरूरतों और रणनीतिक स्वायत्तता के बीच संतुलन बनाए रखना होगा।

भारत के लिए निहितार्थ

- भारत की भौगोलिक अवस्थिति, सैन्य क्षमता, हिंद महासागर में उसका स्थान और प्रौद्योगिकी संबंधी महत्वाकांक्षाएँ अमेरिकी प्रशासनों में इसके स्थायी महत्व का आधार हैं। अमेरिका अब क्षेत्रीय संतुलन, रक्षा सहयोग व प्रौद्योगिकी-आपूर्ति श्रृंखला परियोजनाओं में अधिक योगदान की अपेक्षा करता है।
- फ्रांस, यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया व खाड़ी देशों के साथ साझेदारी और रूस के साथ निरंतर संबंध भारत की क्षमताओं एवं रणनीतिक विकल्पों का विस्तार करते हैं।
- सौदेबाजी की शक्ति आर्थिक पैमाने, सैन्य शक्ति, प्रौद्योगिकी, बाजार पहुंच और रणनीतिक क्षमताओं पर नियंत्रण पर निर्भर करती है। केवल अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण होने से अनुकूल सहयोग शर्तें सुनिश्चित नहीं हो सकतीं हैं।
- चीन की आर्थिक एवं तकनीकी ताकत रणनीतिक लाभ का उदाहरण है; भारत की बढ़ती क्षमताएँ भी इसी तरह प्रभाव बढ़ा सकती हैं किंतु इस तरह की सौदेबाजी की ताकत बनाने में समय लगता है।

संपादकीय के अतिरिक्त

भारत के लिए रणनीतिक उलझाव के जोखिम

- **संघर्ष का सामना करना:** भारत ने 2003 में इराक में सैनिकों की तैनाती के लिए अमेरिका के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था। भारत ने इस पर पुनर्विचार को संयुक्त राष्ट्र के स्पष्ट अधिदेश से जोड़ा और तैनाती संबंधी विवेकाधिकार को बरकरार रखा।
- **प्रौद्योगिकी पर निर्भरता:** अमेरिकी सरकार के जवाबदेही कार्यालय ने पाया कि तकनीकी आंकड़ों की कमी के कारण सैन्य रखरखावकर्ताओं को कुछ F-35 विमानों में जंग लगने की मरम्मत के लिए

ठेकेदारों पर निर्भर रहना पड़ा।

- **खरीद का दबाव:** तुर्की द्वारा रूस से S-400 की खरीद के कारण 2019 में उसे F-35 कार्यक्रम से निलंबित कर दिया गया, जो दर्शाता है कि साझेदारी किस प्रकार उपकरण विकल्पों को सीमित कर सकती है।
- **प्रतिबंधों का जोखिम:** दिसंबर 2020 में वाशिंगटन ने तुर्की की रक्षा खरीद एजेंसी पर S-400 की खरीद को लेकर प्रतिबंध लगा दिए, जिससे यह साबित हो गया कि गठबंधन की सदस्यता प्रतिबंधों से बचाव नहीं करती है।
- **क्षेत्रीय धारणाएँ:** सितंबर 2024 में चीन ने क्वाड को एक रोकथाम तंत्र के रूप में चित्रित किया, जो क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग में निकटता से उत्पन्न राजनयिक तनाव को दर्शाता है।
- **खर्च का दबाव:** उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (NATO) की 2014 की वेल्स प्रतिज्ञा में सकल घरेलू उत्पाद के 2% की ओर रक्षा व्यय की मांग की गई थी, जो साझेदारों की संभावित बोझ-साझाकरण मांगों को दर्शाती है।
- **प्रतिबद्धता सुरक्षा उपाय:** भारत के 2016 के लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज समझौता ज्ञापन में पारस्परिक लॉजिस्टिकल सहायता की अनुमति है किंतु इसमें बेस या बेसिंग व्यवस्थाओं को शामिल नहीं किया गया है जो स्पष्ट सहयोग सीमाओं के महत्व को दर्शाता है।

3. विनियमन से उच्च शिक्षा संस्थानों में बाधा

(सामान्य अध्ययन- II: शासन)

'विनियमन उच्च शिक्षा संस्थानों को कैसे बाधित करता है' (How regulation stifles HEIs) शीर्षक वाला यह संपादकीय 5 अक्टूबर, 2026 को द हिंदू में प्रकाशित हुआ। इसमें बताया गया

है कि अनुपालन-प्रेरित विनियमन उच्च शिक्षा की गुणवत्ता, संस्थागत सत्यनिष्ठा एवं नवाचार को किस प्रकार कमजोर कर सकता है।

विनियमन बनाम शैक्षिक गुणवत्ता

- विधायी समीक्षा के अधीन विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान (VBSA) विधेयक, 2025 गुणवत्ता, जवाबदेही, न्यूनतम मानकों एवं कदाचार की रोकथाम के माध्यम से उच्च शिक्षा में सुधार का लक्ष्य रखता है; एक अन्य व्यापक नियामक शैक्षिक गुणवत्ता को कमजोर कर सकता है।
- जब बाहरी निगरानी संस्थागत सत्यनिष्ठा का स्थान ले लेती है तो उच्चतर शैक्षणिक संस्थान (HEIs) सार्थक अधिगम की अपेक्षा कागजी न्यूनतम आवश्यकताओं को प्राथमिकता देने लगते हैं; एलन ग्रीनस्पैन की भय-आधारित विनियमन की आलोचना संस्थाओं के नैतिक आधार की उपेक्षा पर बल देती है।
- अनुपालन का दबाव शिक्षकों को निरीक्षण संबंधी साक्ष्यों और प्राधिकारियों को रैंकिंग तथा प्रत्यायन की ओर मोड़ देता है जिससे बौद्धिक सहभागिता में आवश्यक सुधार किए बिना दस्तावेजीकरण बढ़ता जाता है।

अनुपालन का बोझ और संस्थागत अविश्वास

- नियामक संरचना में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE), राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (NAAC) तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) शामिल हैं; असंगत निर्देश आगे अधिक स्पष्टीकरण तथा नियामक विस्तार को जन्म देते हैं।
- यूजीसी विनियम, 2018 में 40 घंटे के कार्य-सप्ताह का प्रावधान है किंतु परिसर में प्रतिदिन केवल पाँच घंटे की भौतिक उपस्थिति अपेक्षित है; ऐसी असंगतियाँ शिक्षण की

बौद्धिक सारवस्तु को केवल अंकगणितीय अनुपालन तक सीमित करने का जोखिम पैदा करती हैं।

- मानकीकृत कार्यप्रणालियाँ और नियामकीय निगरानी अविश्वास पैदा करती हैं जिससे संस्थान व शिक्षक जोखिम से बचने लगते हैं, नवाचार कमजोर पड़ जाता है और पारंपरिक औसत दर्जे का प्रदर्शन सबसे सुरक्षित विकल्प बन जाता है।

गुणवत्ता को सक्षम बनाने वाली स्वायत्तता

- संस्थागत स्वायत्तता IISc, IITs, IIMs, NITs व IISERs को अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों (HEIs) से अलग करती है: पाठ्यक्रम, भर्ती व संसाधन आवंटन के संबंध में अधिक स्वतंत्रता इन संस्थानों की अपनी संस्थागत रणनीतियों को समर्थन देती है।
- ये संस्थान इस दावे को चुनौती देते हैं कि गहन नियमन गुणवत्ता को बढ़ावा देता है; VBSA रूपरेखा का इन संस्थानों तक विस्तार उनके प्रदर्शन को समर्थन देने वाली स्वायत्तता को कमजोर कर सकता है।

संपादकीय के अतिरिक्त

स्वायत्त संस्थानों के भीतर छात्र संरक्षण

- **शुल्क संबंधी जवाबदेही:** विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) शिकायत विनियमावली, 2023 में तय फीस से अधिक शुल्क लेने और रिफंड देने में देरी करने या रिफंड देने से इनकार करने जैसे मामले शामिल हैं जो छात्रों को आर्थिक शोषण से बचाते हैं।
- **सत्यपूर्ण प्रकटीकरण:** 2023 की विनियमावली में शुल्क, शिक्षकों एवं बुनियादी ढाँचे का विवरण देने वाले अग्रिम विवरण-पुस्तिकाएँ अनिवार्य की गई हैं। साथ ही, भ्रामक प्रकटीकरण को शिकायत के रूप में मान्यता दी गई है ताकि सूचित प्रवेश सुनिश्चित किए जा सकें।

- **शैक्षणिक गतिशीलता:** 2021 में शुरू किया गया अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, सहभागी संस्थानों के बीच क्रेडिट संचित करने और स्थानांतरित करने में सहायता करता है जिससे छात्रों को पूर्ण की गई शिक्षा को संरक्षित रखने में मदद मिलती है।
- **समान व्यवहार:** 2023 की शिकायत रूपरेखा में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों एवं दिव्यांग व्यक्तियों के विरुद्ध कथित भेदभाव को शामिल किया गया है।
- **परिसर सुरक्षा:** UGC के 2009 के रैगिंग-रोधी नियम रैगिंग की रोकथाम एवं प्रतिक्रियाओं की निगरानी के लिए संस्थागत समितियाँ और दल प्रदान करते हैं जिससे स्वायत्तता छात्र सुरक्षा के अनुरूप बनी रहती है।
- **स्वतंत्र अपीलें:** 2023 का ढाँचा शिकायत समिति के निर्णयों के विरुद्ध लोकपाल के समक्ष अपील की अनुमति देता है जिसे 30 दिनों के भीतर समाधान खोजने का प्रयास करना चाहिए।
- **छात्र सहभागिता:** 2023 के विनियम शिकायत निवारण समितियों में एक छात्र प्रतिनिधि को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल करते हैं जिससे संस्थागत जवाबदेही में शिक्षार्थियों के दृष्टिकोण को समाहित किया जाता है।